बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषयः ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन निर्दिष्ट पथों के किनारे निजी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने के लिए पहुँच पथ के रूप में प्रयुक्त होने वाले ग्रामीण पथों के उपयोग के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भूमि की बंदोबस्ती एवं लीज नवीकरण से संबंधित किसी भी तरह की नीति का निर्धारण नहीं किया गया है।

2. विषयांकित प्रयोजन के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1921 दिनांक 08.03.2018 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भी एक प्रक्रियात्मक नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है।

3. इस परिदृश्य में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे स्थापित किए जाने वाले पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प तक पहुँचने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की निर्दिष्ट भूमि का उपयोग पहुँच पथ के रूप में करने के क्रम में उसके निर्माण एवं उपयोग के एवज में निम्नवत् शुल्क अधिरोपण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत/नवीकृत करने की व्यवस्था की गयी है:–

(i) ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 2,40,000/(दो लाख चालीस हजार) मात्र एकमुश्त तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जाएगी।

(ii) इन निर्दिष्ट पथों के किनारे किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार) मात्र तथा 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जाएगी।

(iii) उक्त वर्णित प्रयोजन हेतु आवेदन रू0 10,000/–(दस हजार) मात्र की अप्रत्यपर्णीय (Non-refundable) राशि के साथ जमा किया जाएगा।

(iv) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के कैलेण्डर वर्ष के 5 वर्ष के उपरान्त रू0 10,000/–(दस हजार) मात्र नवीकरण शुल्क के साथ नवीकरण कराये जाने का प्रावधान होगा।

(v) कैलेण्डर वर्ष से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 4 माह पूर्व संबंधित कार्य प्रमंडल के समक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। इस क्रम में किसी भी तरह के संशोधन/स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर इसका समाधान 2 माह के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा तथा अगले 1 माह के भीतर अगले 5 वर्ष के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण कर दिया जायेगा।

23/7/18

Scanned with OKEN Scanner

अनापत्ति के नवीकरण नहीं कराए जाने पर प्रतिमाह दंड के रूप में रू0 5,000/–(पाँच हजार) मात्र की वसूली अनुमान्य होगी।

(vi) स्थापना के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क एवं आवेदन के लिए अप्रत्यपर्णीय शुल्क (Non-refundable Application Processing Fee) कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराकर उसकी सत्यापित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

4. वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन पेट्रोल रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/ हमारा पंप के अनापत्ति पत्र (NOC) से संबंधित प्रक्रियाधीन मामलों में निम्नरूपेण कार्रवाई की जाएगी:–

(i) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि (5 वर्ष के लिए) अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक राशि है, में पूर्व से जमा की गई राशि पर आवेदक का दावा मान्य नहीं होगा तथा 5 वर्षों के उपरांत नवीकरण नए नियम के तहत होगा।

(ii) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, में पूर्व से जमा की गई अतिरिक्त राशि पर आवेदक का दावा मान्य नहीं होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(iii) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक है तथा पुरानी व्यवस्था के तहत अतिरिक्त राशि जमा की जानी हो, में अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(iv) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि में कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो, में इस नियम के तहत अधिष्ठापन के समय लिया जाने वाला एकमुश्त शुल्क ही लिया जाएगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

5. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव के साथ विहित जाँच प्रपत्र में भी सूचना उपलब्ध करायेंगे।

6. उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के आगामी असाधारण अंकों में जनसाधारण एवं सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार)
सरकार के सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/अभियंता प्रमुख के सचिव(प्रा0)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग को सी0डी0 के साथ राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.10.2018 में मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/अ0प्र0–13–08/2017 10755 पटना/दिनांक 23.10.18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23/10/18

सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(7)

पत्रांक— 11/अ0प्र0—11—20/2025 9820(का0) पटना, दिनांक— 11.9.25

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निबंधित/
ईमेल

सभी मुख्य अभियंता/
सभी अधीक्षण अभियंता/
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषयः— ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प आदि स्थापित करने के निमित्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव हेतु विभागीय संकल्प एवं चेकस्लिप उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालय से ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प आदि स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु विभाग को आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। प्रायः प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—10755 दिनांक 23.10.2018 तथा आवश्यक कागजातों/अभिलेखों/शूल्क के अपूर्ण रहने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अनावश्यक प्रक्रियात्मक विलम्ब का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर से एक चेकस्लिप तैयार की गयी है। साथ ही उक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में आवेदक से अनापत्ति पत्र के एवज में ली जाने वाली शुल्क की गणना विवरणी उदाहरण के लिए तैयार की गयी है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या 10755 दिनांक 23.10.2018 एवं चेकस्लिप के अनुरूप आवेदक का अभ्यावेदन एवं वांछित कागजात/अभिलेख की जाँच कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अनावश्यक विलम्ब का समाना करना न पड़े। सुविधा हेतु संगत संकल्प, जाँच प्रपत्र (चेक स्लीप) एवं शुल्क की गणना विवरणी की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन
Kumar
11/9/25
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 11/अ0प्र0—11—20/2025 9820(का0) पटना, दिनांक— 11.9.25

प्रतिलिपि :— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar
11/9/25
सरकार के अवर सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/ किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप आदि स्थापित करने के निमित्त उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव हेतु चेकस्लिपः—

क्र0सं0	विवरण	हॉ/नहीं/लागू नहीं	पृष्ठ सं0
1	पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र /हमारा पंप का होने की स्पष्टता ?		
2	अगर भूमि आवेदक की स्वयं की हो, तो उससे संबंधी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन लगान रसीद की प्रति की उपलब्धता ?		
3	अगर भूमि लीज पर ली गई हो, तो लीज संबंधी एग्रीमेन्ट/कागजात?		
4	पेट्रोलियम रिटेल आउट लेट/किसान सेवा केन्द्र/हमार पंप की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का स्थल मापी प्रतिवेदन?		
5	पेट्रोलियम रिटेल आउट लेट/किसान सेवा केन्द्र/हमार पंप की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल से संबंधी नजरी नक्शा?		
6	पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र /हमारा पंप का जाँचोपरान्त संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Site Layout Plan की उपलब्धता?		
7	संबंधित कम्पनी द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्गत Letter of Intent की प्रति ?		
8	विभागीय पत्रांक—10755 दिनांक—23.10.2018 के आलोक में गणना कर प्राप्त शुल्क को कोषागार में जमा किये गये चालन की अभिप्रमाणित प्रति ?		
9	संबंधित कम्पनी द्वारा निर्गत चेक लिस्ट में वर्णित तथ्यों की जाँचोपरांत संबंधित कार्यपालक अभियंता की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति?		
10	संबंधित जिला पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध पत्र?		
11	कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर सहित उक्त वर्णित सभी अभिलेख?		

कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप आदि स्थापित करने के निमित्त सुविधा–सुलभ हेतु विभागीय संकल्प संख्या–10755 दिनांक 23.10.2018 के आलोक में शुल्क की गणना कर उदाहरणस्वरूप उपलब्ध कराने हेतु विवरणी :–

ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में विभागीय संकल्प सं0–10755 दिनांक–23.10.2018 में निर्णय संसूचित है।

संकल्प की कंडिका 03 (i) में यह निर्णय संसूचित है कि *"ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 2,40,000/–(दो लाख चालीस हजार रूपया) मात्र एकमुश्त तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जाएगी।"*

उक्त के आलोक में आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भुगतेय शुल्क की राशि की गणना निम्नवत है:–

(i) आधार वर्ष–2017 में ली जाने वाली एक मुश्त शुल्क की राशि= 2,40,000/-

(ii) वर्ष 2018 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*=2,52,000/-
2,40,000 + 2,40,000 x 5 % = 2,52,000/-

(iii)वर्ष 2019 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*=2,64,600/-
2,52,000+ 2,52,000 x 5 %= 2,64,600/-

(iv)वर्ष 2020 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*= 2,77,830/-
2,64,00 + 2,64,600 x 5 %= 2,77,830/-

(v) वर्ष 2021 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*= 2,91,722/-
2,77,830 + 2,77,830 x 5 % = 2,91,722/-

(vi) वर्ष 2022 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*= 3,06,308/-
2,91,722 + 2,91,722 x 5 % = 3,06,308/-

(vii) वर्ष 2023 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि* =3,21,623/-
3,06,308+ 3,06,308 x 5 % = 3,21,623/-

(viii) वर्ष 2024 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*=3,37,704/-
3,21,623 + 3,21,623 x 5 % = 3,37,704/-

(ix) वर्ष 2025 के लिए 5% *अभिवृद्धि के साथ शुल्क की राशि*=3,54,589/-
3,37,704 + 3,37,704 x 5 % = 3,54,589/-

(x) वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/-

कुल शुल्क के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि = **3,54,589 + 10,000** =रू0 **3,64,589**

संकल्प की कंडिका 03 (ii)में यह निर्णय संसूचित है कि *" पथों के किनारे किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार) मात्र तथा 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जायेगी।"*

(५)

उक्त के आलोक में आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भुगतेय शुल्क की राशि की गणना निम्नवत है:-

(i) आधार वर्ष-2017 में ली जाने वाली एक मुश्त आधार शुल्क की राशि =1,20,000/-

(ii) वर्ष 2018 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*=1,26,000/-

1,20,000 + 1,20,000 x 5 % = 1,26,000/-

(iii)वर्ष 2019 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,32,300/-

1,26,000 + 1,26,000 x 5 % = 1,32,300/-

(iv)वर्ष 2020 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,38,915/-

1,32,300 + 1,32,300 x 5 % = 1,38,915/-

(v)वर्ष 2021 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,45,861/-

1,38,915 + 1,38,915 x 5 % = 1,45,861/-

(vi)वर्ष 2022 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,53,154/-

1,45,861 + 1,45,861 x 5 % = 1,53,154/-

(vii)वर्ष 2023 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,60,812/-

1,53,154 + 1,53,154 x 5 %= 1,60,812/-

(viii)वर्ष 2024 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,68,853/-

1,60,812 + 1,60,812 x 5 % = 1,68,853/-

(ix)वर्ष 2025 के लिए 5 % *अभिवृद्धि के साथ शुल्क राशि*= 1,77,296/-

1,68,853 + 1,68,853 x 5 %= 1,77,296/-

(x) वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/-

इस प्रकार आवेदक से प्राप्त की जाने वाली निर्धारित शुल्क की कुल राशि

1,77,296+10,000=1,87,296/- (एक लाख सतासी हजार दो सौ छियानवें) रू0 मात्र होती है।